

25-8-22

पन्नावली देश दुर्ग / वकुलाप उपस्थित) जहाँ
 तदधीनता अध्यापिका ने पत्रावली प्राप्त पत्र पेश किया
 जो शामिल मिला रहे) जहाँ वकील व अध्यापिका
 के निवेदन पर बहल प्राप्त भवण की गई। बहल
 के दौरान अध्यापिका वकील ने प्राप्त में दस्तावेजों
 को दोहराया तथा प्राप्त में बर्तित भूमि में अध्यापिका
 का नाम मनेहरी दुर्गा देवता की जगह मनेहरी दुर्गा
 जोरधन दुर्गा देवता के निवेदन किया। अध्यापिका
 ने पंच रिपोर्ट में दस्तावेजों को दोहराया तथा
 कथन किया कि प्रकरण में धारा 136 का दावा नहीं
 बनता है। अतः अध्यापिका का दावा खारिज कर माया
 पाव) पन्नावली का दृष्टान्तपूर्वक अवलोकन किया
 गया एवं बहल पर मतत किया गया। पन्नावली
 एवं प्रकृत दस्तावेजात एवं पंच रिपोर्ट अध्यापिका
 अध्यापिका का अध्यापिका पत्र साबित नहीं होने पर खारिज
 किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।
 अध्यापिका का अध्यापिका पत्र ध. धारा 136 LR Act लाबित
 नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पन्नावली
 केवल दुर्गा देवता (नम्बर) के बस है तथा दस्तावेज
 पत्र है।

25/8/22